कुलानुशासक कार्यालय
लखनऊ विश्वविद्यालय

दिनांक :19.10.2020

आवश्यक सूचना / प्रेस–विज्ञप्ति

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं उत्तर–प्रदेश सरकार द्वारा छात्र–छात्राओं की उच्च शिक्षा के उन्नयन हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में दिनांक 19.10.2020 से लखनऊ विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र–2020–2021 के पी–एच0डी0 एवं परास्नातक कक्षा हेतु पठन–पाठन कार्य (आनलाइन / आफलाइन) प्रारम्भ हो रहा है । अतएव उक्त के अनुपालन में दिनांक 21.10.2020 से अग्रिम आदेश तक लखनऊ विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में शान्ति एवं सुव्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से निम्नलिखित व्यवस्था की जाती है :–

01. लखनऊ विश्वविद्यालय के समस्त सम्मानित शिक्षको / अधिकारियों / कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे अपने विभाग के समीप स्थित वाहन स्टैण्ड पर अपने वाहन खड़े करने के उपरान्त परिसर में प्रवेश करने का कष्ट करें । यदि किसी शिक्षक / अधिकारी / कर्मचारी को अपरिहार्य कारणों से विश्वविद्यालय के शैक्षणिक परिसर में अपने वाहन सहित प्रवेश करना आवश्यक हो तो वे परिसर स्थित द्वार संख्या 02 से आगमन एवं प्रस्थान करेंगे ।

02.. छात्र–छात्राओं को सूचित किया जाता है कि वे अपने वाहन परिसर स्थित निर्धारित वाहन–स्टैण्डों द्वार संख्या 01, 02, 04 एवं 05 पर खड़े करने के उपरान्त शैक्षणिक परिसर में पैदल प्रवेशकरेंगे । शैक्षणिक परिसर में छात्र–छात्राओं का वाहन सहित प्रवेश पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा । यदि कोई छात्र प्रवेश द्वार से अनाधिकृत रूप से अपने वाहन सहित प्रवेश करने की कुचेष्टा करेगा, अथवा परिसर में वाहन सहित घूमता हुआ पाया जायेगा तो उसके विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ।

03. कोविड–19 को दृष्टिगत रखते हुये पी–एच0डी0 कक्षा एवं परा स्नातक कक्षा में अध्ययन हेतु आने वाले छात्र–छात्राऐं मास्क लगाकर आयेंगे एवं सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करते हुये इस परिपेक्ष्य में उत्तर प्रदेश सरकार / भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करेंगे । छात्र–छात्राऐं अपने साथ अपना परिचय–पत्र / छात्रत्व की पुष्टि हेतु अभिलेख साथ लेकर आयेंगे।

04. **नार्थ गेट (मछली द्वार) सभी के लिये बन्द रहेगा । इस द्वार से आवागमन निषिद्ध रहेगा ।**

05. परिसर में प्रवेश हेतु जिन शिक्षको, अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा दिव्यांग छात्र–छात्राओं को इस कार्यालय द्वारा वाहन पास निर्गत किये गये हैं, उन्हें द्वार संख्या 02 से परिसर में प्रवेश दिया जायेगा ।

06. लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा शैक्षणिक परिसर को स्वच्छ एवं हरित परिसर के साथ–साथ **"वाहन निषिद्ध क्षेत्र"(No Vehicle Zone)** बनाने का प्रयास किया जा रहा है, यह पुनीत कार्य आप सभी के सहयोग के बिना पूर्ण नहीं हो सकता है । अतएवं सभी से पुनः अनुरोध है कि बिना अति आवश्यक कार्य परिसर में वाहन सहित प्रवेश न करें ।

07. परिसर में आग्नेयास्त्रों (वैधानिक एवं अवैधानिक) का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा ।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त व्यवस्था का अनुश्रवण कर विश्वविद्यालय प्रशासन का यथेष्ठ सहयोग करने का कष्ट करें ।

(प्रो0 दिनेश कुमार)

संख्या 1897–1930 दिनांक : 19.10.2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :–

21. निजी सचिव कुलपति को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ ।
22. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
23. समस्त संकायाध्यक्ष को इस आशय के साथ कि समस्त विभागाध्यक्षों को उक्त आशय की सूचना प्रसारित करने का कष्ट करें ।
24. मुख्य अभिरक्षिका,, लखनऊ विश्वविद्यालय, छात्रावास, लखनऊ ।
25. अधिष्ठाता, महाविद्यालय विकास परिषद, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ ।
26. निदेशक, समस्त संस्थान / समस्त पुस्तकालयाध्यक्ष, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ ।
27. अपर कुलानुशासक, लखनऊ विश्वविद्यालय, द्वितीय परिसर, लखनऊ ।
28. कुलसचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ ।
29. वित्त अधिकारी, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ ।
30. निदेशक, आई0पी0पी0आर0, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना समस्त समाचार–पत्रों में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।
31. इंचार्ज वेबसाइट को आशय से प्रेषित कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें ।

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को भी प्रेषित :–

16. जिलाधिकारी, लखनऊ ।
17. अपर जिलाधिकारी (नगर–टी0जी0) लखनऊ ।
18. अपर नगर मैजिस्ट्रेट, (पंचम), लखनऊ ।
19. आयुक्त, लखनऊ ।
20. पुलिस उप आयुक्त (उत्तरी), लखनऊ ।
21. सहायक पुलिस आयुक्त, महानगर, लखनऊ ।
22. प्रभारी निरीक्षक, हसनगंज, लखनऊ ।
23. प्रभारी, पुलिस चौकी, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ ।

19.10.2020
(प्रो0 दिनेश कुमार)
कुलानुशासक
लखनऊ विश्वविद्यालय
लखनऊ